



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 माह 28 दिन के साधारण कारावास व 5,00/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 528/2014 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सि0ज0(सी0डि0)/एफटीसी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त टुट्टी प्रजापति पुत्र मग्गी प्रजापति निवासी ग्राम पुरैनी, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 माह 28 दिन के साधारण कारावास व ₹5,00 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एपीओ अतुल तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 अवनीश
यादव



पैरोकार- थाना जरिया
हे0का0 विद्यासागर